समस्त पत्र–व्यवहार कुलसचिव, लखनऊ विश्वविद्यालय, को सम्बोधित करें अन्य किसी अधिकारी के नाम से नहीं।

पत्र संख्या :........................./सम्बद्धता अनु0/2023

दिनांक :..

प्रेषक,

कुलसचिव,
लखनऊ विश्वविद्यालय,
लखनऊ–226007

सेवा में,

प्रबन्धक/प्राचार्य
समस्त सहयुक्त महाविद्यालय,
लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
(लखनऊ, लखीमपुर–खीरी, हरदोई, रायबरेली, सीतापुर)

महोदय/महोदया,

सूच्य है कि सत्र 2023–24 से नवीन पाठ्यक्रमों सचालनार्थ शर्तो अधीन सहयुक्तता जिन महाविद्यालय को प्रदान की गयी है उनके द्वारा अभी भी प्रवेश की अनुमति दिये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किये जा रहे है जबकि इसके लिए विश्वविद्यालय के पत्र संख्या–14493 दिनॉक 14.07.2023 द्वारा पूर्व में दी गयी समयावधि समाप्त हो चुकी है।

अतः जिन नवीन महाविद्यालयों अथवा पूर्व संचालित महाविद्यालयों को नवीन पाठ्यक्रमों/विषयों के संचालनार्थ सत्र 2023–24 से सहयुक्तता प्रदान की गयी है, उनको अन्तिम अवसर प्रदान करते हुए निर्देशित किया जाता है कि प्रत्येक दशा में अस्थायी सहयुक्तता पत्र में उल्लिखित शर्तो की पूर्ति (यथा–मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन आदि) पत्रावली दिनॉक 06.11.2023 तक प्रस्तुत करें। उक्त तिथि के बाद प्राप्त आवेदन/पत्र पर विश्वविद्यालय द्वारा विचार नहीं किया जायेगा, जिसके लिये महाविद्यालय स्वय उत्तरदायी होंगे। जैसा कि सहयुक्तता पत्र की शर्तो में भी उल्लेख किया गया है कि प्रवेश की अनुमति के बिना यदि प्रवेश लिया जाता है तो ऐसे प्रवेश अनुमन्य नही होगे और विश्वविद्यालय द्वारा ऐसे पाठ्यक्रमों/विषयों की परीक्षायें नहीं करायी जायेगी जिसके लिए सम्बन्धित महाविद्यालय स्वंय उत्तरदायी होगे। कृपया इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(डा0 विनोद कुमार सिंह)
कुलसचिव

संख्या : AF-25386-89 दिनांक : 03/11/23

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव कुलपति को मा0 कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
2. परीक्षा नियंत्रक, ल0वि0वि0।
3. सहायक कुलसचिव(सम्ब0), ल0वि0वि0।
4. इंचार्ज, वेबसाईट, ल0वि0वि0 को इस आशय से प्रेषित कि समस्त सहयुक्त महाविद्यालय (लखनऊ, लखीमपुर–खीरी, हरदोई, रायबरेली और सीतापुर) को ई–मेल से प्रेषित करने एवं विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
5. गार्ड फाईल।

कुलसचिव